न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

करण संख्या : 104 / 19 GCMS id : 2019 / 00155

देवीशंकर पुत्र प्रेमचन्द, जाति तेली, निवासी मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री बनवारीलाल नागर, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 23.08.2024

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम मण्डाना तहसील लाड़पुरा जिला कोटा मे हाल खसरा नम्बर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजी पर वादी का करीब 33 बर्षो से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करके तिल्ली आदि की फसल करता चला आ रहा है।

~ वादी ने उक्त आराजी के चारो तरफ पत्थर की कोट करके बाउण्ड्रीवाल कर रखी है तथा उक्त आराजीयात को काफी रूपया पैसा लगाकर व पत्थर आदि निकालकर मेहनत मजदूरी करके काबिल काश्त बनाया है।

~ वादी ने उक्त आराजीयात पर खसरा नम्बर 1663 की 1.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजी को अपने नाम आवंटन करवाने हेतु काफी समय पूर्व से जिला कलक्टर महोदय कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा केम्प प्रशासन न्याय आपके द्वार आदि को कई प्रार्थना पत्र समय समय पर दिये गये लेकिन उपरोक्त वर्णित आराजीयात को वादी के नाम आज तक भी नही किया जबकि वादी भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति है तथा वादी उक्त आराजीयात को कानूनन अपने नाम खातेदारी करवाने का अधिकारी है।

~ वादी उक्त दोनो खसरा नम्बरान 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजीयात का काफी समय से तावान राशि, जुर्माना, लगान आदि जमा करता आ रहा है। इस कारण से वादी उक्त आराजीयात अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने अथवा अपने नाम नियमन कराने का अधिकारी है।

~ वादी की कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात को प्रतिवादी अन्य व्यक्तियों को आवंटन कराने पर आमादा है तथा वादी के पास माननीय न्यायालय के सहायता से प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने व माननीय न्यायालय से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नही है। इसलिए उक्त वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है।

~ जब वादी द्वारा उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को अपने नाम रेवेन्यू रेकार्ड मे खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रतिवादी को जर्ये वकील रजि0 नोटिस दो माह का दिलवाया गया तो प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने के बाद व नोटिस मे वर्णित अवधि समाप्त होने पर भी वादी को उक्त वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार नही देने पर दिनांक 18.12.2018 को वाद कारण को उत्पन्न हुआ।

~ वादी के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा निषेधाज्ञा कि डिक्री सादर फरमाई जावे कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे

वादी के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे अथवा उक्त आराजी वादी को नियमन करने की सिफारिश की जावे एवं आवंटन मे प्राथमिकता दी जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की उक्त वर्णित आराजी को किसी भी व्यक्ति को आवंटन न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, प्रतिनिधी से करावे।

~ वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पेश निम्न दस्तावेज प्रदर्शित किये गये –

① : खसरा गिरदावरी ग्राम मण्डाना संवत 2052 प्रदर्श–P-1 है।
② : खसरा गिरदावरी ग्राम मण्डाना संवत 2053 प्रदर्श–P-2 है।
③ : खसरा गिरदावरी ग्राम मण्डाना प्रदर्श–P-3 लगायत P-19 तक है।
④ : नोटिस 91 का प्रदर्श–20A, 21A, 22A है।

3- प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

- ग्राम मण्डाना की आराजी खसरा नम्बर 1663 रकबा 9.69 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पठार है जो कि आवंटन योग्य नही है एवं खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.56 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय है।
- उक्त भूमि पर पत्थर की कोट हो रही है तथा भूमि पर अंग्रेजी बबूल एवं झाड़ झकाड़ उगे है। उक्त व्यक्ति के विरूद्ध समय समय पर नियमानुसार भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अंतर्गत धारा 91 की कार्यवाही की जाती रही है।
- प्रार्थी के नाम ग्राम मण्डाना खाता संख्या 357 एवं 358 पर आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 0.95 हैक्टर एवं 1512 रकबा 0.46 हैक्टर हिस्सा 1/2 भूमि खातेदार दर्ज रिकोर्ड है।
- बिना कमेटी के आवंटन आदेश के खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नही है, व्यक्ति केवल अतिक्रमी के रूप मे है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नही है।

4- *प्रकरण की बहस अन्तिम सुनी गई –*

वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मण्डाना तहसील लाड़पुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजी पर वादी करीब 33 बर्षो से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करके तिल्ली आदि की फसल करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त आराजी के चारो तरफ पत्थर की कोट करके बाउण्ड्रीवाल कर रखी है तथा उक्त आराजीयात को काफी रूपया पैसा लगाकर व पत्थर आदि निकालकर मेहनत मजदूरी करके काबिल काश्त बनाया है। वादी ने समय समय पर उक्त आराजीयात पर खसरा नम्बर 1663 की 1.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजी को अपने नाम आवंटन करवाने हेतु काफी समय पूर्व से जिला कलक्टर महोदय कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा केम्प प्रशासन न्याय आपके द्वार आदि को कई प्रार्थना पत्र दिये गये लेकिन उपरोक्त आराजी को वादी के नाम आज तक भी नही किया जबकि वादी भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति है तथा वादी उक्त आराजीयात को कानूनन अपने नाम खातेदारी करवाने का अधिकारी है। वादी उक्त दोनो खसरा नम्बरान 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजीयात का काफी समय से तावान राशि, जुर्माना, लगान आदि जमा करता आ रहा है। इस कारण से वादी उक्त आराजीयात अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने अथवा अपने नाम नियमन कराने का अधिकारी है। वादी की कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात को प्रतिवादी अन्य व्यक्तियों को आवंटन कराने पर आमादा है तथा वादी के पास माननीय न्यायालय के सहायता से प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने व माननीय न्यायालय से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नही है। अतः वादी के पक्ष मे इस आशय की घोषणा निषेधाज्ञा कि डिक्री फरमाई जावे कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे वादी के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे अथवा उक्त आराजी वादी को नियमन करने की सिफारिश की जावे एवं आवंटन मे प्राथमिकता दी जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की उक्त वर्णित आराजी को किसी भी व्यक्ति को आवंटन न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, प्रतिनिधी से करावे।

प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1663 रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर पर अपने 33 वर्षो के कब्जे के आधार पर वादी द्वारा उक्त आराजी का खातेदार घोषित किये जाने का तथा किसी अन्य को आवंटित नहीं किये जाने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत केवल खातेदार ही अनुतोष की प्राप्ति के लिये प्रार्थना कर सकता है। वादी विवादित आराजी का खातेदार नहीं है जिससे वह, प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की प्रापति का अधिकारी भी नहीं है।
- प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब मय रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 1663 रकबा 9.69 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पठार है जो कि आवंटन योग्य नही है अर्थात इस आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।
- वादी द्वारा स्वयं को भूमिहीन अंकित किया है जबकि जवाब दावा से स्पष्ट है कि वादी के पिता प्रेमचन्द के खाते खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.46 हैक्टर व खसरा नम्बर 26 रकबा 0.95 हैक्टर आराजी दर्ज है जिस पर वादी का भी हक व अधिकार निहित है जिससे वादी का स्वयं को भूमिहीन कहने का कथन मिथ्या साबित हो रहा है।
- वादी द्वारा विवादित आराजी लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है।
- वादी की ओर से कब्जे के आधार पर आराजी के आवंटन हेतु की गई कार्यवाही का भी उल्लेख किया है। आवंटन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है।
- इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अब्दुल रहमान प्रकरण में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है।
- वादी की ओर से पेश की गई खसरा गिरदावरी से भी विवादित आराजी पर पत्थरकोट होना तो प्रकट हो रहा है किन्तु कोई फसल होने की पुष्टि नहीं हो रही है।
- विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। ([illegible]सिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)
4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है।
- अतः मात्र खसरा गिरदावरी की प्रविष्टियों व जुर्माने की रशीदों को आधार मानकर वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

8- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/8/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

बउनवान :–

देवीशंकर पुत्र प्रेमचन्द, जाति तेली, निवासी मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (वादी)

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88,89,91,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 104 / 19
निर्णय दिनांक : 23-08-2024

GCMS id : 2019 / 00155

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभाषक श्री बनवारीलाल नागर की उपस्थिति में वादपत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 23–08–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मात्र खसरा गिरदावरी की प्रविष्टियों व जुर्माने की रशीदों को आधार मानकर वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। कृषि अराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 23 अगस्त, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

23/8/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		